

प्रेषक,

सर्वजीत कुमार सिंह,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश /
एफ०टी०सी० द्वितीय, गोण्डा।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा:- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा।

विषय:- शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत
पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने का प्रार्थना पत्र।

महोदय,


ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4. संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टीसी 1) से हुई थी। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नं०-1133/DR(S)/2006, दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक-15.06.2006 को जनपद अम्बेडकर नगर में अपर सिविल जज (जू०डि०) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित होने का पात्र है।

प्रार्थी, शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024. दिनांकित-11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु दिनांक-15.07.2024 को विकल्प पत्र माननीय महोदय के समक्ष भेजा था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त विकल्प पत्र में, जनपद न्यायाधीश, गोण्डा का मुहर न लगे होने का ऑब्जेक्शन लगाकर पुनः विकल्प पत्र भेजने का कथन किया गया है। उसी के अनुक्रम में उक्त ऑब्जेक्शन का निराकरण कर मेरे द्वारा मेरे द्वारा पुनः विकल्प पत्र भरकर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय


23/09/24

(सर्वजीत कुमार सिंह)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/

एफ०टी०सी० द्वितीय, गोण्डा।

आई०डी० नं०- UP6354

दिनांक-23.09.2024

संलग्नक :-

1- पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।

No. 226.0.....Date 23.09.2024

FORWARDED

District Judge, Gonda

शासनादेश शासनादेश सं0-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 तथा संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र -

1. नाम - SARVJEET KUMAR SINGH
2. वर्तमान पदनाम - ADDITIONAL DISTRICT JUDGE /FTC-II, GONDA.
3. वेतनमान - J-5(144840-194660) BASIC PAY-1,78,150/- (As on 01-06-2024)
4. वर्तमान विभाग का नाम - NYAYA VIBHAG
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - NYAYA VIBHAG
6. विज्ञप्ति की तिथि - A-2/E-1/2003, Employment News 22-28 November 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26-05-2006
8. योगदान की तिथि - 15-06-2006
9. जन्म तिथि - 08-05-1976
10. सेवा निवृत्ति की तिथि - 31-05-2036

मैं SARVJEET KUMAR SINGH पुत्र SRI MAHANTH SINGH शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक-28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (V) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर..... Sarjeet Kumar Singh

नाम- SARVJEET KUMAR SINGH
पदनाम- ADDITIONAL DISTRICT JUDGE
(FTC-II),GONDA जे०ओ० कोड- UP6354

घोषणा पत्र

मैं SARVJEET KUMAR SINGH पदनाम ADDITIONAL DISTRICT JUDGE (FTC-II), GONDA यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर..... Sarjeet Kumar Singh

नाम- SARVJEET KUMAR SINGH
पदनाम- ADDITIONAL DISTRICT JUDGE
(FTC-II),GONDA जे०ओ० कोड- UP6354

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

Shri SARVJEET KUMAR SINGH पदनाम ADDITIONAL DISTRICT JUDGE (FTC-II), GONDA को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (V) में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।

28/07/2024
District Judge
GONDA
कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति